474/2021 चतुर्वेदी

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP41706790811250T
Certificate Issued Date	:	23-Nov-2021 11:31 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14104004733130571166 67T
Purchased by	:	MEENAKSHI SHARMA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MEENAKSHI SHARMA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	MEENAKSHI SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

..........Please write or type below this line..........

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

मीनाक्षी

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

0002927166

मीनाक्षी

{2}

।। श्री गणेशाय नमः।।

न्यास विलेख

मालियती-5100/-रूपये

देय स्टाम्प-750/-रूपये

क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक प्रथम, मथुरा

कोड नं0-

न्यास का नाम - माँ गायत्री देवी ट्रस्ट

न्यास का पता - 7, पूजा एन्कलेव, कृष्णानगर, मथुरा ।

मीनाक्षी

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना - गोवर्धन रोड, सींह, मथुरा

प्रमुख न्यास कर्ता – न्यास में मुख्य न्यासी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री तुला राम 7,पूजा एन्क्लेव,कृष्णा नगर मथुरा मो0-9927000976 ट्रस्ट का निर्माण कर रही है।
न्यास में लगाया गया धन– मुख्य न्यासी द्वारा रू 5100/– की धनराशी न्यास को समर्पित की गई है।

विधिक प्रलेख–भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आवद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति का स्वामी घोषित अथवा स्वीकार किया जाता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिए ही स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व– मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है– न्यास एक प्रकार का आभार है, आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध है। न्यास का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक न्यास के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। न्यास का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व का आभार आवद्ध करेगा। इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यासी हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर न्यास के निम्न न्यासीयों द्वारा बनाया गया प्रबन्ध मण्डल –

क्रमांक	नाम + पति/पिता का नाम + पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री तुला राम 7, पूजा एन्क्लेव, कृष्णा नगर, मथुरा	संस्थापक/अध्यक्ष	गृहणी
2	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री बनमाली गॉव सीह, पोस्ट–पलसो, गोवर्धन, मथुरा	ट्रस्टी/प्रबन्धक	व्यवसाय
3	श्रीमती राज कुमारी पत्नी योगेन्द्र शर्मा 7,पूजा एन्क्लेव,कृष्णा नगर मथुरा ।	ट्रस्टी	गृहणी

मीनाक्षी

प्रबन्धक
मॉ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

न्यास के मुख्य उद्देश्य-यह न्यास निम्नलिखित सम्पादित करेगा-

1. ट्रस्ट प्राईमरी से लेकर **जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल,** एवं इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व उच्च शिक्षा **मैडीकल षिक्षा-नर्स (मेल-फीमेल) फार्मेसी, पॉलीटेक्नीक व आई. टी. आई के शिक्षालय** स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षा संस्थायें स्थापित करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

2. संस्था विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे-**सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., एन.ओ.एस., इग्नू, यू.जी.सी.** आदि से सम्बद्धता प्राप्त करेगी आवश्यकता पड़ने पर उनका एफीलिऐशन प्राप्त कर उनकी विविध योजनाओं का संचालन व प्रचार-प्रसार करेगी।

3. **प्राकृतिक योग चिकित्सा** केन्द्रों की स्थापना करना प्राकश्तिक चिकित्सा के माध्यम से गम्भीर रोगों का **निशुल्क उपचार व निदान** करने के प्रयास करना।

4. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे **अन्धे, कुष्ठ रोगी** व **मूक बधिरों**, विकलाँग व **निराश्रित, लाचार वृद्धजनों** के कल्याण के लिए कार्य करना, बाल **आश्रम, अनाथालय** एवं **वृद्धाश्रम** की स्थापना करना।

5. **ब्लड बैंक** की परियोजना में सहयोग देना, **एम्बुलेंस** की सुविधा उपलब्ध कराना व आपात कालीन परिस्थितियों में निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।

6. ट्रस्ट निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को **निशुल्क आर्युवेद चिकित्सा** सुविधा हेतु एक इमरजेंसी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करायेगी।

7. **निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों** के लिये आश्रम स्थलों के निर्माण के लिये भूमि देना एवं उसकी देख-रेख व व्यवस्था करना।

8. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं यथासम्भव हर जनपद में इसकी शाखायें खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिये संस्थान का निर्माण करना।

9. जनकल्याण के कार्य जैसे **आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़,** आदि के समय जन-जन तक सरकारी सहायता पहुँचाना।

मीनाक्षी

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना - गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

10. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगत संस्थाओं एवं निकायों बैंको से दान, अनुदान, आर्थिक ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायताऐं प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

11. **समिति, एच.आर.डी., यू.जी.सी. ग्राण्ट कमीशन, वर्ल्ड बैंक, डब्लू.एच.ओ., रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफ्सा, कपार्ट, नॉवार्ड बैंक व शिक्षा विभाग आदि** संस्थाओं, विभांगों से आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करेगी।

12. **'न्यास आयकर अधिनियम'** की धारा 80-जी व 12-ए, **और एफ.सी.आर.ए** 35 **ए0सी0** के लिए भी आवेदन करेगा।

13. **महिला/कन्या छात्रावास, महिला/कन्या विद्यालय, महाविद्यालय आदि** का संचालन।

14. संस्था भिन्न-2 कार्यो को संपादित करने के लिये उप-समितियाँ गठित करेगी जो ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होगी।

15. ट्रस्ट के सभी उद्देश्य **अलाभकारी** होंगे, अतः ट्रस्ट **नो प्रोफिट नो लॉस** की नीति पर आधारित होगी।

16. विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

17. विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

18. विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगें, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

19. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगें।

20. संस्था के शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।

मीनाक्षी

प्रबन्धक
मॉ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना - गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

21. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।

22. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

23. विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

24. उ0प्र0 शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

25. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

न्यासियों की नियुक्ति–न्यास के न्यासियों की नियुक्ति आपसी सहमति से ही करेंगे। जो व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल व्यवसनों का आदी होगा वह न्यास का सदस्य नहीं हो सकेगा। न्यासियों में से कोई भी न्यासी का अवसान, मृत्यु या कोई नैतिक दोष, अश्रदा एवं न्यासी की हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से स्थान रिक्त होने पर न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

न्यास मण्डल प्रमुख–न्यास के वर्तमान प्रबन्धक कार्यकारिणी सदस्य श्री कन्हैया लाल होंगे। वे इस पद पर जीवनपर्यन्त बने रहेंगे आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति भी वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य ही करेंगे। इसके बाद प्रत्येक कार्यरत प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा की जाएगी। वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य अपनी स्वेच्छा से किसी को भी आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त कर सकते हैं अथवा अपनी वसीयत द्वारा आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे।

अन्य संचालन व्यवस्थाएं, प्रावधान नियम, उपनियम–

1. संस्थापक न्यासी सहित कुल न्यासियों की संख्या तीन होगी। न्यासी के स्वेच्छा से त्याग पत्र देने, निधन या संस्थापक न्यासी द्वारा बदलने की स्थिति में समाज सेवी, बुद्धिजीवी, निष्ठावान, चरित्रवान, लोकप्रिय व न्यास के उद्देश्यों के लिए समर्पित व्यक्तियों में से ही न्यासी का मनोनयन द्वारा संचालन समिति की बैठक में विचार करके किया जाएगा।

मीनाक्षी

Maa Gayatri Dev.
Seeh (Mathura)

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

2. संचालन समिति बहुमत से न्यास की विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधनार्थ उप समितियों का गठन करेगी। उपसमितियों के सदस्यों की संख्या प्रस्तावित परियोजना के अनुसार संचालन समिति स्थिर करेगी .प्रत्येक उपसमिति का एक संयोजक होगा। संयोजक व उपसमितियों के सदस्यों के कर्त्तव्य व अधिकारों का निर्धारण संचालन समिति इस अनुबंध में प्राप्त स्वयं के कर्त्तव्य व अधिकारों के अंतर्गत करेगी।

3. इन उपसमितियों का संचालन ट्रस्ट के आधीन ही होगा। जरूरत समझने पर न्यासी के अतिरिक्त समाज के अन्य ख्याति प्राप्त समाजसेवी व अनुभवी निष्ठावान व्यक्तियों के उपसमितियों के संयोजक या सदस्य के रूप में चयन करने का अधिकार डायरेक्टर्स को होगा। संयोजक वैतनिक भी हो सकता है।

4. न्यास की परियोजनाओं को उत्तरदायित्व व समर्पण के साथ पूर्ण करने व न्यास के विकास के उद्देश्यों से संस्थापक न्यासी व अन्य न्यासी मिलकर, संचालन समिति की बैठक में किसी भी पदाधिकारी या न्यासी सदस्य को आर्थिक सहयोग के रूप में निश्चित मानधन देने का निर्णय बहुमत के आधार पर ले सकेंगे किन्तु स्वीकृति का अन्तिम अधिकार श्री कन्हैया जी को ही होगा।

5. वर्ष में न्यास संचालन समिति की योजनानुसार तीन बैठकें होंगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। जिसका अनुमोदन/सम्पुष्टि आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् प्रति वर्ष न्यास की एक वार्षिक बैठक मार्च मास में अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें पिछले वर्ष का आंकेक्षित आय व व्यय विवरण स्वीकशति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और आगामी वर्ष का योजना बजट स्वीकृत होगा।

7. महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संचालन समिति की आकस्मिक बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

8. ट्रस्ट अपनी सम्पत्ति को मोरगेज कर सकेगा किसी भी संस्था व्यक्ति या बैंक से ऋण ले सकेगी जिसका सम्पूर्ण अधिकार संस्थापक व प्रबन्धक को ही होगा।

मीनाक्षी

कन्हैया लाल

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सीह,मथुरा

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

बैठकों का कोरम–आकस्मिक बैठक में कोरम का बंधन नहीं होगा। उपस्थित न्यासी/पदाधिकारी निर्णय ले सकेंगे, किन्तु आगामी पूर्ण नियमित बैठक में कार्यवाही व निर्णयों की पुष्टि आवश्यक होगी।

आय–व्यय लेखा पुस्तकें व लेखा परीक्षण–

1. संचालन समिति न्यास की आय व व्यय का विधिवत हिसाब रखेगी व लेखा पुस्तकें तैयार करेगी।

2. लेखा पुस्तकों का विधिवत अंकेक्षक द्वारा परीक्षण किया जायेगा। अंकेक्षक के नाम व फीस का निश्चय संचालन समिति अपनी बैठक में करेगी।

3. हिसाब–किताब व वित्तीय वर्ष 1 **अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31** मार्च तक होगा।

4. न्यास का विधिवत खाता किसी भी बैंक में खोला जायेगा। खाता प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जायेगा तथा धन का आहरण भी प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संचालन समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य–

अध्यक्ष–(अ) न्यास संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। (ब) बैठकों के विषयानुक्रमों को प्रबन्धक के परामर्श से निर्धारण करना। (स) न्यास प्रबन्धक के माध्यम से बैठकों को आहूत करना या आवश्यकतानुसार आहूत करना। (द) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नव–निर्वाचित सहित अन्य कार्य सम्पादित करना।

प्रबन्धक–(अ) अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों को आहूत करना व उनका संचालन करना। (ब) न्यास के कर्मचारियों को अध्यक्ष से परामर्श कर नियुक्त करना, निलम्बित करना व उनमें अनुशासन स्थापित करना। (स) आकस्मिक खर्चों हेतु रु. 50,000/– तक की राशि अपने पास रखना। (द) अन्य वे सभी अधिकार व कर्त्तव्य जो न्यास हित में संचालन समिति उन्हें सौंपे।

मीनाक्षी

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

आवेदन सं०: 202100764045475

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 474 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 5100 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

मीनाक्षी

श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ,
पत्नी श्री तुलाराम
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 7 पूजा एन्कलेव कृष्णानगर मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/11/2021 एवं 12:12:06 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० के० त्रिपाठी
उप निबंधक :सदर प्रथम
मथुरा
23/11/2021

प्रदीप उपाध्याय ,
निबंधक लिपिक

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

कोषाध्यक्ष–(अ) न्यास की समस्त वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करना, सम्बन्धित लेखाओं को रखना व रखवाना। (ब) अप्रायोजित व अतिरिक्त न्यास धन को **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** की धारा–20 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना। (स) वित्तीय लेखा-जोखा को वित्तीय वर्ष समापन के पश्चात् दो माह में पूर्ण कर या कराकर अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराकर संचालन समिति की मार्च माह की वार्षिक बैठक में अनुमोदित हेतु प्रस्तुत करना।

अंकेक्षक–न्यास समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक न्यास के सभी लेखों-जोखों का वित्तीय वर्ष के उपरान्त अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण/ऑडिट करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट देना।

संस्थापक–न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों के जो अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबंध में नहीं है उनका और उनके अलावा अन्य अधिकार व कर्तव्य **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** के अधीन निर्धारित होंगे।

कानूनी प्रक्रियायें–न्यास से सम्बंधित सभी कानूनी विवाद न्यास पदाधिकारी दायर करेंगे। न्यास पदाधिकारी ही प्रमुख कार्यपालक होगें व न्यास में सेवारत सभी कर्मचारी उसके अधीन होंगे।

संशोधन के अधिकार–इस न्यास अनुबंध में लिखित मुद्दों पर **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** से सामंजस्य रखते हुये नये नियमों का सृजन, वर्तमान नियमों व प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास का होगा, जिसका अनुमोदन 2/3 सदस्यों से होगा।

न्यास विघटन स्थिति में–यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल-अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष व प्रबन्धक को वापस चली जायेगी, तथा शेष रकम को बराबर मानते हुए अन्य सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। यह प्रक्रिया मुख्य ट्रस्टी तथा अध्यक्ष के बीच सम्पन्न होगी।

मीनाक्षी

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

प्रबन्धक
माँ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

आवेदन सं०: 202100764045475

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 474 | वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, पत्नी श्री तुलाराम

निवासी: 7 पूजा एन्कलेव कृष्णानगर मथुरा

व्यवसाय: अन्य मीनाक्षी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरिओम शर्मा, पुत्र श्री मुरारीलाल

निवासी: पलसों गोवर्धन

व्यवसाय: अन्य हरिओम

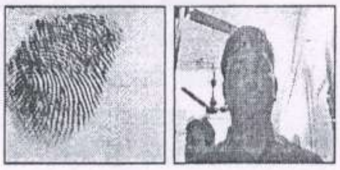

पहचानकर्ता : 2

श्री सुरेश, पुत्र श्री विशनबाबू

निवासी: राया मथुरा

व्यवसाय: अन्य

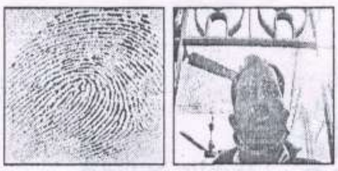

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

एस० के० त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा

प्रदीप उपाध्याय ,
निबंधक लिपिक

प्रबन्धक
मॉं गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

Principal
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

वर्तमान में ट्रस्ट के पास सिर्फ 5100/-रु. नगद चल सम्पत्ति है इसके सिवाय अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है तथा कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नही है।

पूर्व में मुझ मीनाक्षी शर्मा द्वारा दिनांक 16.09.2016 को ट्रस्ट निष्पादित किया गया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 4 जिल्द 270 पृष्ठ 235-244 नं0-313 पर हुयी है व संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक 24.12.2020 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 4 जिल्द 334 पृष्ठ 179-206 नं0-380 पर हुयी है, अब उसी के अनुक्रम में यह संशोधित ट्रस्ट डीड निष्पादित की जा रही है।

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी **श्रीमती मीनाक्षी शर्मा** द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दवाब नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवास में अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत के समय काम आए।

तहरीर दिनांक - 23.11.2021
कम्प्यूटराइज्ड किया -दीपक
ड्राफ्ट किया-प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा

मीनाक्षी

गवाह-हरिओम शर्मा पुत्र मुरारीलाल
नि0-पलसों गोवर्धन मो0-9456220974

प्रबन्धक
मॉ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

हरीओम

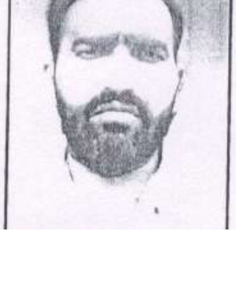

Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)

गवाह-सुरेश पुत्र विशनबाबू
नि0-राया मथुरा मो0-9457077190

आवेदन सं०: 202100764045475

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 349 के पृष्ठ 119 से 138 तक क्रमांक 474 पर दिनाँक 23/11/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रबन्धक
मॉ गायत्री देवी पब्लिक स्कूल
बरसाना – गोवर्धन रोड,सींह,मथुरा

ए० के० त्रिपाठी

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा
23/11/2021

Princi
Maa Gayatri Devi Public School
Seeh (Mathura)